वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 222/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-22.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक- 21.06.2025 को थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा *05 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में घायल/ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।*

थाना-मेंहनगर

05 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/ गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक- 20.06.2025 को वादी मुकदमा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 20.06.2025 को समय करीब 02 बजे दिन में विपक्षी जावेद S/O सिराजुद्दीन R/O देवईत थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ द्वारा वादी मुकदमा की पुत्र उम्र 05 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 320/2025 धारा 65 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट बनाम जावेद S/O सिराजुद्दीन निवासी देवईत थाना मेंहनगर आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण:-

दिनांक- 21.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक 20. 06.2025 को ग्राम देवईत मे 05 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त देवरिया की तरफ से गहुनी जाने वाली रोड से पैदल आ रहा है कही फरार होने के फिराक मे है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति ग्राम राजधरपुर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, उक्त व्यक्ति पुलिस वालो को देखकर सडक के बाई तरफ खेत मे तेज कदम से जाने लगा जिस पर टार्च की रोशनी डालते हुए अभियुक्त को रुकने के लिये कहा गया, तो उसने पुलिस पर जान मारने की नियत से फायर कर दिया, पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के बायें पैर में गोली लगी है, घायल अभियुक्त को समय करीब 21.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। घायल अभियुक्त के इलाज हेतु सीएचसी मेंहनगर भेजा गया।

➡घायल **अभियुक्त की पहचान जावेद S/O सिराजुद्दीन R/O देवईत थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ** के रूप में की गयी।

➡घायल अभियुक्त के कब्जे से ***01 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।***

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहनगर **पर मु0अ0सं0 326/2025 धारा 109/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 326/2025 धारा 109/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 320/2025 धारा 65 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो थाना मेंहनगर, आजमजगढ़

2.मु0अ0सं0 326/2025 धारा 109/352 बीएनएस व 3/205 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ़

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का विवरण:-

1- जावेद S/O सिराजुद्दीन R/O देवईत थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ *(बायें पैर में गोली लगी है)*

बरामदगी का विवरण:-

1- एक अदद तमंचा .315 बोर,
2- 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर,
3- 01 अदद खोखा कारतसू .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्र0नि0 अनुराग कुमार मय हमराह निरीक्षक जयप्रकाश यादव उ0नि0 आदील खां थाना मेंहनगर आजमगढ़।

2- उ0नि0 अमित यादव मय हमराह थाना मेंहनगर आजमगढ़।

3- उ0नि0 आदिल खां HC अनिल कुमार का0 सत्यम सिह का0 अजय राय थाना मेंहनगर आजमगढ़।

4- उ0नि0 अमित यादव मय हमराह का0 उदयभान गुप्ता, आरक्षी ग्रीजेश यादव थाना मेंहनगर आजमगढ़।

4- HC राकेश कुमार , का0 अनिल चौधरी का0 हीरालाल का0 जमीदार विश्वकर्मा, का0 अतुल शुक्ला थाना मेंहनगर आजमगढ़।